क्रम-संख्या-389

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008

भाद्रपद 7, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1725/79–वि–1–08-1(क)23-2008

लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2008)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002 की धारा 10 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रबन्धकीय संस्थान का निदेशक (पदारूढ़ या सेवानिवृत्त);

(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त, या यथास्थिति, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में भी नियुक्त किया जायेगा और यदि खण्ड (क) (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है तो इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से होगा।"

धारा 13 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"1–कुलसचिव की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जाय।"

धारा 14 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"14–वित्त अधिकारी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसी विहित की जांय या कुलाधिपति, कुलपति या कुलसचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।"

धारा 17 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) अध्यक्ष, गौतमबुद्ध शिक्षा सोसायटी, जो उसका अध्यक्ष होगा।"

धारा 29 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) प्रथम चरण में प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी।"

धारा 38 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी जो विश्वविद्यालय के आवर्ती/अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए सामान्य निधि के नामे डाली जायेगी।"

धारा 40 का संशोधन

8–"मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) में खण्ड (ङ) निकाल दिया जायगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसकों निगमित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2002) बनाया गया है। विश्वविद्यालय के प्रशासन को अपेक्षाकृत अधिक दक्ष बनाने की दृष्टि से जिससे कि इसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाया जा सके मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:–

(क) कुलपति की नियुक्ति हेतु समिति के गठन में परिवर्तन करना ;

(ख) कुलाधिपति के स्थान पर प्रबंध बोर्ड द्वारा कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करना ;

(ग) गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी के अध्यक्ष को कुलाधिपति के स्थान पर व्यवस्थापक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना;

(घ) ऐसे कर्मचारियों को विनियमित किया जाना जिन्होने संविदा के आधार पर अपनी नियुक्ति के दौरान संतोषजनक कार्य किया हो;

(ङ) विन्यास निधि का ब्याज विकास निधि के स्थान पर सामान्य निधि के नामे डालना।

2– तद्नुसार उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै० मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAI ANUBHAG-1

No. 1725(2)/LXXIX-V-1-1(ka)23-2008
Dated Lucknow, Auguast 29, 2008

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gautambudha Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on Auguast 27, 2008:–

THE UTTAR PRADESH GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2008

(U. P. Act No. 21 of 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

1.This Act may be called the Uttar Pradesh Gautam Buddha University (Amendment) Act, 2008. Short title

Amendment of section 10 of U.P. Act no. 9 of 2002

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Gautam Buddha Un hereinafter reffered to as the principal Act, *for* sub-section (2) the fol shall be *substituted* namely :–

"(2) The Committee referred to in sub-section (1) sh following persons, namely :–

(a) one person nominated by the Chancellor,

(b) the Director (sitting or retired) of an Indian Institute o Indian Institute of Management.

(c) the Industrial Development Commissioner or, as the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh Development Department;

(d) Two persons nominated by the Board of Governors also be appointed as the convener of the Committee by the B And if none of the persons referred to in clauses (a), (b) an Scheduled Castes, at least one of the persons nominated under from the Scheduled Castes."

Amendment of section 13

3. In section 13 of the Principal Act, *for* sub-section (1) section shall be *substituted* namely :–

"(1) The Registrar shall be appointed by the Board of M manner and on such terms and conditions as may be prescribed."

Amendment of section 14

4. *For* section 14 of the Principal Act, the following section namely :–

"14-The Finance Officer shall be appointed by the Bo in such manner and shall exercise such powers and perform suc prescribed or may be required by the Chanceilor, the Vice-Registrar."

Amendment of section 17

5. In section 17 of the principal Act, in sub-section (1) following clause shall be *substituted* namely :–

"(a) the President of Gautam Buddha Education So the Chairperson thereof;"

Amendment of section 29

6. In section 29 of the principal Act, *for* sub-section (1) section shall be *substituted* namely :–

"(1) Every employee in the first instance shall be written contract, which shall be lodged with the University and a be furnished to the employee concerned."

7. In section 38 of the principal Act, for sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted* namely:– Amendment of section 38

"(4) Any amount exceeding the mininum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University to be credited to the general fund to meet the recurring/nonrecurring expenses of University."

8. In section 40 of the Principal Act, in sub-section (1) clause (e) shall be *omitted.* Amendment of section 40

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Gautam Buddha University Act, 2002. (U.P. Act no. 9 of 2002) has been enacted to provide for the establishment and incorporation of a University sponsored by the New Okhla Industrial Development Authority and the Greator Noida Industrial Development Authority in the State of Uttar Pradesh. With a view to making the administration of the University more efficient, so as to make it an institution of excellence, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for,–

(a) changing the Constitution of committee for the appointment of vice-chancellor ;

(b) appointment of the Registrar and the Finance Officer by the Board of management instead of the chancellor ;

(c) making the President of the Gautam Buddha Education Society as the Chair-Person of the Board of Governors instead of the Chancellor ;

(d) regularisation of such employees as have worked satisfactorily during their appointment on contract basis ;

(e) crediting of the interest of Endowment Fund to the General Fund instead of the Development Fund.

2. The Uttar Pradesh Gautam Buddha University (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S. M. A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 471 राजपत्र(हि०)–2008–(1041)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 102 सा0 विधायी–2008–(1042)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।